राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– 2039 दिनांक 28/10/16

परिपत्र

विषयः– स्थानान्तरण मामलों में माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से प्राप्त स्थगन आदेश के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराने के संबध में।

कतिपय स्थानान्तरण के प्रकरणों मे यह पाया गया है कि स्थानान्तरित कार्मिको को माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त होने पर संबधित कार्यालयों द्वारा सीधे ही कार्यभार ग्रहण करवा लेते है तथा इसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की जाती है। इस संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश उपरान्त विभाग को विधिक राय एवं संबधित नियमान्तर्गत कार्यवाही करनी होती है। अतः किसी भी कार्मिक द्वारा न्यायालय/अधिकरण से स्थगन आदेश की प्राप्ति के पश्चात संबधित कार्यालयाध्यक्ष निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें:–

1. संबधित कार्मिक स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रार्थना पत्र तथा स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नही करने संबधी अण्रडटैकिंग संबधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें।
2. संबधित कार्यालयाध्यक्ष आवेदन पत्र की मूल प्रति मय स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति, कार्यभार मुक्ति आदेश तथा स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नही करने संबधी कार्मिक की अण्डरटैकिंग निदेशालय को अग्रेषित करेगें।
3. निदेशालय से कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही संबधित कार्मिक को कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करवायेंगें तथा कार्यभार ग्रहण करवाने की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करेगें।

(डॉ. अजय गुप्ता)
निदेशक

D:/harvindarkor /762